

सप्तदश माला, खंड 28, अंक 10

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023
24 अग्रहायण, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)



(खंड 28 में अंक 1 से 14 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

रणविजय कुमार राव
संयुक्त निदेशक

पी.आर.अवस्थी
संपादक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 28, चौदहवां सत्र, 2023/1945 (शक)
अंक 10, शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 / 24 अग्रहायण, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
------	--------------

प्रश्नों के लिखित उत्तर	5
-------------------------	---

^αतारांकित प्रश्न सं. 181 से 185 और 187 से 200

^βअतारांकित प्रश्न सं. 2071 से 2102, 2104 से 2139, 2141 से 2154,
2156 से 2174, 2176 से 2188, 2190 से 2241, 2243 से 2268,
2270 से 2295, 2297 से 2298

^αतारांकित प्रश्न सं 186 को "लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियम" के नियम 374 के अंतर्गत उस सदस्य, जिनके नाम पर प्रश्न था, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था,

^βअतारांकित प्रश्न सं. 2103, 2140, 2155, 2175, 2189, 2242, 2269, 2296, 2299 और 2300 को 'लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 / 24 अग्रहायण, 1945 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[श्री राजेन्द्र आग्रवाल पीठासीन हुए]

[हिंदी]

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न काल ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या 181 – श्री डी. एम. कथीर आनंद जी ।

... (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर¹

(तारांकित प्रश्न सं 181 से 185 और 187 से 200 अतारांकित प्रश्न सं 2071 से 2102, 2104 से 2139, 2141 से 2154, 2156 से 2174, 2176 से 2188, 2190 से 2241, 2243 से 2268, 2270 से 2295, 2297 से 2298)

[हिंदी]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

¹ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।
(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

[हिंदी]

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.01/2 बजे

इस समय डॉ. फारूख अब्दुल्ला, श्री गिरिधारी यादव, श्री सुदीप बन्दोपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 18 दिसंबर, 2023 / 27 अग्रहायण, 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और
382 के अन्तर्गत प्रकाशित
